भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .880

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन

880. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आकांक्षी जिले चंदौली में एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) चंदौली जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और कितनी इकाइयाँ सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं;

(ग) क्या चंदौली जिले में कुटीर, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि जैसे पारंपरिक उद्योगों को पर्याप्त धनराशि और प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने आकांक्षी जिले चंदौली में जिला स्तरीय केंद्र स्थापित किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसे करने के लिए क्या समय-सीमा प्रस्तावित है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सरकार देश भर में एमएसएमई के लिए विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और मांग आधारित स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है, जिनमें आकांक्षी जिला चंदौली भी शामिल है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों, जैसे - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), खादी विकास योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना आदि का विवरण निम्नानुसार है:

i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): यह स्कीम उद्यमियों को गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है। इसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आकांक्षी जिलों, जिनमें आकांक्षी जिला चंदौली भी शामिल है, के लाभार्थियों को पीएमईजीपी की विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है और वे उच्चतर सब्सिडी दर तथा अपने कम अंशदान दर के पात्र हैं। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का क्रमशः 25% और 35% की उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का क्रमशः 15% और 25% सब्सिडी दी जाती है। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का अंशदान 05% है, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों का अंशदान 10% है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 22.07.2025 तक) तक की अवधि के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत आकांक्षी जिले चंदौली में सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी राजसहायता (सब्सिडी) और अनुमानित रोजगार सृजन निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी राजसहायता (सब्सिडी) (लाख रु.)
2022-23	162	786.12
2023-24	90	598.99
2024-25	50	323.19
2025-26 (दिनांक 22.07.2025 तक)	24	119.34

ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने संयुक्त रूप से वर्ष 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की थी, ताकि सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जा सके, जिसके लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं हो।

चंदौली जिले सहित आकांक्षी जिलों में स्थित एमएसई के लिए स्कीम के अंतर्गत विशेष प्रावधान निम्नानुसार हैं:

I. गारंटी कवरेज की सीमा सामान्य के लिए 75% की तुलना में यह 85% है।
II. आकांक्षी जिलों में स्थित एमएसई को गारंटी शुल्क में 10% की छूट

चंदौली जिले में सीजीएस के अंतर्गत स्वीकृत गारंटियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अनुमोदित गारंटियों की संख्या (दिनांक 30.06.2025 तक)	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)
16,464	713

iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी): एमएसई-सीडीपी क्लस्टर विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। यह मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए भारत सरकार (जीओआई) अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक अनुमोदित परियोजना चल रही है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी):

क्लस्टर का नाम	अनुमोदन की तिथि	परियोजना लागत (लाख रु. में)	अनुमोदित भारत सरकार अनुदान (लाख रु. में)
चावल मिल क्लस्टर, चंदौली में सीएफसी	07.12.2021	1500.00	1200.00

iv) खादी विकास योजना (केवीवाई): केवीवाई, खादी के प्रचार और विकास हेतु खादी ग्रामोद्योग विकास योजना की एक उप-स्कीम है। केवीवाई के अंतर्गत, चंदौली जिले में 8 खादी संस्थाएँ पंजीकृत हैं और खादी क्रियाकलापों का क्रियान्वयन कर खादी कारीगरों को रोजगार प्रदान कर रही हैं।

v) ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई): जीवीवाई सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन हेतु अन्य सहायता एवं सेवाओं के माध्यम से ग्रामोद्योगों के संवर्धन एवं विकास हेतु एक स्कीम है। जीवीवाई में ग्रामोद्योग के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के विभिन्न घटक/कार्यक्षेत्र शामिल हैं: कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्ल्यूसीआई), हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा एवं प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई), ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई), और सेवा उद्योग। विगत तीन वर्षों के दौरान जीवीवाई के अंतर्गत चंदौली जिले में 70 लाभार्थियों को लाभ मिला है।

(ग): चंदौली जिले में हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे परंपरागत उद्योगों को पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) राजसहायता (सब्सिडी) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 22.07.2025 तक) तक चंदौली जिले में, 21 हथकरघा उद्योगों और 17 हस्तशिल्प उद्योगों को क्रमशः 104.47 लाख रुपये और 138.75 लाख रुपये की एमएम राजसहायता (सब्सिडी) संवितरण के साथ सहायता प्रदान की गई है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, भावी लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए वित्त, उत्पादन, विपणन, उद्यम प्रबंधन, बैंकिंग औपचारिकताओं, बहीखाता पद्धति, वैधानिक अनुपालन आदि जैसे विभिन्न प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों से संबंधित अभिविन्यास और जागरूकता प्रदान करना है।

चंदौली जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 22.07.2025 तक) तक 449 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) किए जा चुके हैं।

(घ): विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की "निर्यात केंद्र के रूप में जिलें (डीईएच)" पहल के अंतर्गत, सरकार ने देश भर के जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। 734 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिह्नित किया गया है, जिनमें कृषि, खिलौने और भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। चंदौली जिले में स्थापित डीईएच में, चिह्नित उत्पाद प्लास्टिक उत्पाद, ज़री ज़रदोज़ी और फल हैं।

*****